मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मं त्रा ल य
अ धि सू च ना

भोपाल, दिनांक 30 मई–2000

क्रं. एफ–25/2/2000/पी. डब्लू .सी,/चार भारत के संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राजपाल , एदतद्वारा , मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात :–

उक्त नियमों में, नियम 42 में,–

(1) शीर्षक में अंक तथा शब्द ''20/25'' वर्ष के स्थान पर अंक तथा शब्द ''20 वर्ष'' स्थापित किए जाएं।

(2) उप नियम (1) के खण्ड (बी) में अंक तथा शब्द ''25 वर्ष की अर्हतादायी सेवा'' के स्थान पर अंक तथा शब्द ''20 वर्ष की अर्हतादायी सेवा या 50 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो'', स्थापित किए जांए ।

(3) उप नियम (1) के खण्ड (बी) की टिप्पणी–1 में

(क) अंक तथा शंब्द ''25 वर्ष की अर्हतादायी सेवा'' के स्थान पर अंक तथा शब्द ''20 वर्ष की अर्हतादायी सेवा या 50 वर्ष की आयु'' स्थापित किए जांए ।

(ख) शब्द ''यदि आवश्यक हो तो, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी शासकीय सेवक की अर्हतादायी सेवा बावत् महालेखाकार, मध्यप्रदेश से रिपोर्ट प्राप्त कर लें ।'' का लोप किया जाए ।

(4) प्ररूप 29 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए अर्थात् :–

प्ररूप–29

(नियम 42(1)(बी) देखिये)

प्रति,

....
....
....

*चूंकि आपने तारीख.........................को 20 वर्ष की अर्हतादायी सेवा/50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

2 और चूंकि राज्य सरकार के अनुमोदन से, लोकहित में यह विनिश्चत किया गया है है कि आपको मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के उपनियम (1) के खण्ड (बी) के अधीन तारीख................. से सेवानिवृत्त किया जाए, तदनुसार एतद्द्वारा इस निमित्त तीन मास की सूचना दी जाती है ।

अथवा

*चूंकि आपने तारीख.........................को 20 वर्ष की अर्हतादायी सेवा/50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

2 और चूंकि राज्य सरकार के अनुमोदन से, लोकहित में यह विनिश्चत किया गया है है कि आपको मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के उपनियम (1) के खण्ड (बी) के अधीन तारीख................. से सेवानिवृत्त किया जाए, तदनुसार एतद्द्वारा इस निमित्त तीन मास से कम अवधि की सूचना दी जाती है ।

अथवा

*चूंकि आपने तारीख.........................को 20 वर्ष की अर्हतादायी सेवा/50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

2 और चूंकि राज्य सरकार के अनुमोदन से, लोकहित में यह विनिश्चत किया गया है है कि आपको मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के उपनियम (1) के खण्ड (बी) के अधीन तारीख.......

.... से सेवानिवृत्त किया जाए, तदनुसार एतद्द्वारा इस निमित्त तीन मास से कम अवधि की सूचना दी जाती है ।

अथवा

*चूंकि आपने तारीख........................को 20 वर्ष की अर्हतादायी सेवा/50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

*** जो लागू न हो उसे काट दें ।**

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(जी.पी.सिंघल)
सचिव